राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228064 ई–मेलedprmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website: WWW.rmsc.health.rajasthan.gov.in

F.02(132)/ RMSCL/ Proc/S&S (Non Drug covid)/ NIB-04/2023/ 1985 Dated: 5/06/2023

कार्यालय आदेश

सर्जिकल (नॉन–ड्रग कोविड आईटम्स) के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(132)/ RMSCL/ Proc/S&S (Non Drug covid)/ NIB-04/2023/1205 Dated:-10.02.2023 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स Paramount Surgimed Limited, Plot no. 1, L.S.C Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 द्वारा आईटम कोड C-3 (N-95 Mask without valve) & NE-67 (N-95 Mask with valve) के लिये बिड प्रस्तुत की गई थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 10.03.2023 एवं वित्तीय बिड दिनांक 19.04.2023 को खोली गयी। जिसमें फर्म ने आईटम कोड C-3 (N-95 Mask without valve) & NE-67 (N-95 Mask with valve) हेतु क्रमशः रूपयें 9.52+GST एवं रूपये 8.50+GST Each Mask की दरे प्रस्तुत की है जबकि BoQ में दर Each Box (containing 100 masks) हेतु मांगी गई थी। फर्म ने ई–मेल दिनांक 19.04.2023 के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अवगत कराया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत दर each mask की है, अतः उक्त दरों के स्थान पर आईटम कोड C-3 & NE-67 (N-95 Mask) हेतु Each Box (containing 100 masks) हेतु संशोधित दर क्रमशः रूपये 952+GST एवं रूपये 850+GST बिड स्वीकार किया जावे। उक्त आइटमो के लिये अन्य फर्म द्वारा क्रमशः दर रू 785+GST (L2) एवं रूपयें 1285+GST (L2) तक दरें कोट की गई थी।

प्रकरण में दिनांक 21.04.2023 को हुई क्रय समिति की बैठक मे रखा गया जिसमें दरों को मोडिफाई मानते हुए फर्म के विरूद्व निविदा शर्तो के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

निविदा में एल–2 फर्म की दर परिप्रेक्ष्य में फर्म द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के मद्देनजर फर्म द्वारा कोटेड दर असामान्य है लेकिन इसे निविदा शर्त सं. 10(7) में उल्लेखित प्रावधान–"No Bidder shall be allowed to claim revision or modification of bid after opening of bid. If any bidder withdraws or modifies its bid after opening of bid the bid security taken from the bidder shall be forfeited. Representation to make correction in the Bid documents on the ground of Clerical error, typographical error, etc., committed by the Bidders in the Bids shall not be entertained after submission of the Bids. Conditions such as "SUBJECT TO AVAILABILITY" "SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN SUPPLIES ARE RECEIVED" etc., will not be entertained under any circumstances and the Bids of those who have given such conditions shall be treated as incomplete and accordingly the Bid will be rejected. का उल्लंघन मानते हुये फर्म के C-3 (N-95 Mask without valve) & NE-67 (N-95 Mask with valve) की बिड को अस्वीकार/निरस्त करते हुए M/s Paramount Surgimed Limited के विरूद्व राशि रू 59000/(GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रू उनसठ हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(132)/ RMSCL/ Proc/S&S (Non Drug covid)/ NIB-04/2023/ 1986-2002 Dated: 05-06-2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पी.एच / आर.सी.एच / एच.ए / ए.आई.डी.एस / एम.एस.यू / आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
7. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
8. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Paramount Surgimed Limited, द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि रू 50000 (D.D No 042450 dated 28-02-2023, Indian Overseas Bank) जो कि इस अनुभाग की अनौ टीप कमांक 1621 दिनांक 05.04.2023 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, को जब्त करें तथा फर्म के अन्य भुगतान से शेष राशि रू. 9000/– होल्ड करें।
9. OIC, Supply, आरएमएससीएल,
10. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड़ करावें।
11. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Paramount Surgimed Limited, Plot no. 1, L.S.C Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 को प्रेषि कर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी में से शेष राशि रू. 9000/–निगम में दिनांक 15.06.2023 तक (चालान/डीडी/RTGS) द्वारा जमा कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।
12. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (प्रौ0)
आरएमएससीएल